नईदुनिया



## संपादकीय

### जनकल्याणकारी या तुगलकी फरमान आखिर जनता ही क्यों करे समझौता ?

*सरकारें चुनाव के समय जनकल्याण का वादा करती हैं, लेकिन सत्ता में आते ही कई बार ऐसे फैसले लेती हैं जिनका सबसे बड़ा बोझ आम जनता पर पड़ता है। मध्यप्रदेश में गैस कंपनियों द्वारा ई-केवाईसी के नाम पर पांच दिन के भीतर बुकिंग रद्द करने और 1.35 लाख गैस कनेक्शन रोकने का निर्णय भी ऐसा ही सवाल खड़ा करता है। यदि सरकार की नीति वास्तव में जनहित में है, तो हर बार समझौता और परेशानी केवल जनता ही क्यों झेले?*

*किसी भी जनकल्याणकारी योजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना होता है। लेकिन आधार आधारित तकनीकी प्रक्रिया के नाम पर गरीब, मजदूर, बुजुर्ग और ग्रामीण महिलाओं को लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया है। जिनके पास न समय है, न संसाधन और न ही तकनीकी जानकारी, वही सबसे अधिक परेशान हैं। सरकार का तर्क है कि फर्जी कनेक्शन रोकने हैं और सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना है। यह उद्देश्य उचित हो सकता है, लेकिन यदि इसकी कीमत किसी गरीब परिवार को बुझा हुआ चूल्हा देकर चुकानी पड़े तो ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।*

*यह पहली बार नहीं है। पहले भी योजनाओं में अचानक नियम बदलना, छोटी समय-सीमा तय करना और पूरी जिम्मेदारी जनता पर डाल देना आम बात रही है। ई-केवाईसी जैसी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर पूरी कराई जा सकती थी। लेकिन अब जल्दबाजी में लागू किए गए इस आदेश ने हजारों परिवारों को असमंजस में डाल दिया है।*

*इस फैसले का एक और दुष्परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ रहा है। कई स्थानों पर एजेंसी कर्मचारियों द्वारा जल्दी ई-केवाईसी कराने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने की शिकायतें मिल रही हैं। यानी भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से बनाई गई व्यवस्था ही भ्रष्टाचार का नया रास्ता बनती दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट और आधार केंद्रों की सुविधा सीमित है, वहां पांच दिन की समय-सीमा व्यावहारिक नहीं कही जा सकती।*

*एक संवेदनशील सरकार की पहचान यह होती है कि वह नीति लागू करने से पहले जनता की परिस्थितियों को समझे, पर्याप्त समय दे और सुविधाएं उपलब्ध कराए। यदि ई-केवाईसी अनिवार्य है तो बुकिंग बंद करने के बजाय पहले व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए था। प्रक्रिया पूरी होने तक गैस आपूर्ति जारी रहती और लोगों को बिना दबाव के आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का अवसर मिलता।*

*सरकार को चाहिए कि इस आदेश पर पुनर्विचार करे, समय-सीमा कम से कम 90 दिन तक बढ़ाए, प्रत्येक जिले में निःशुल्क ई-केवाईसी शिविर लगाए और प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी उपभोक्ता की गैस बुकिंग रद्द न करे। साथ ही गैस एजेंसियों की निगरानी और प्रभावी हेल्पलाइन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।*

*कोई भी नीति तभी जनकल्याणकारी कहलाएगी, जब वह जनता को राहत दे, भय नहीं। ई-केवाईसी का उद्देश्य आंकड़ों को दुरुस्त करना है, रसोई का चूल्हा बुझाना नहीं। सरकार को यह साबित करना होगा कि उसकी नीतियां केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी संवेदनशील और जनहितकारी हैं।*

## आजकल

### मेडिकल वेस्ट पर प्रशासन सख्त

**भोपाल** नगर निगम ने एक बार फिर मेडिकल वेस्ट को लेकर सख्ती दिखाई है। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर चार लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नियम 2026 का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अस्पताल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब सभी इसके दायरे में आएंगे। कागज पर यह आदेश बेहद कड़ा और जनता के हित में लगता है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या यह आदेश धरातल पर उतरेगा या फिर फाइलों में दफन हो जाएगा।

भोपाल में इस तरह के सख्त आदेश पहले भी कई बार जारी हो चुके हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध के समय भारी जुर्माने की घोषणा हुई थी। गीले और सूखे कचरे को अलग न करने पर भी जुर्माने की बात हुई थी। नो पार्किंग और अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलाने के दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा हमेशा आधा-अधूरा ही रहा। शुरुआती एक-दो सप्ताह दिखावटी कार्रवाई हुई, फोटो खिंचे, बयान आए और फिर सब पुरानी पटरी पर लौट आया। कारण स्पष्ट है, नीति बनती है, लेकिन निगरानी तंत्र मजबूत नहीं बनता।

मेडिकल वेस्ट का मामला और गंभीर है, क्योंकि यहां लापरवाही का मतलब सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि बीमारी और संक्रमण भी है। एक सिरिंज या खून लगी पट्टी पूरे मोहल्ले को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में निगम का यह कहना कि एएचओ निगरानी करेंगे, पर्याप्त नहीं है। भोपाल में सैकड़ों छोटे-बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं और एएचओ की संख्या सीमित है। उनके पास पहले से ही डेंगू, मलेरिया, सफाई और अन्य कार्यों का बोझ है। ऐसे में हर क्लीनिक तक पहुंचना और प्रतिदिन जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता।

मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए अलग वाहन, अलग कर्मचारी और ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए। क्या निगम के पास इसकी पूरी व्यवस्था है? यदि उठान समय पर नहीं होगा, तो छोटे क्लीनिक मजबूरी में कचरा बाहर फेंकेंगे और फिर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह दोहरा अन्याय होगा। आज तक यह सार्वजनिक नहीं हुआ कि पिछले आदेशों के तहत कितने लोगों पर कार्रवाई हुई और कितना जुर्माना वसूला गया। जब तक जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी अमल सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक चार लाख रुपये का जुर्माना भी केवल घोषणा बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि यह आदेश इतिहास दोहराता है या पहली बार कागज से निकलकर सड़क पर दिखाई देता है।

# गुरु पूर्णिमाः जीवन का अंधकार मिटाकर आत्मज्ञान की राह दिखाने वाला पावन पर्व

पूजा जोशी

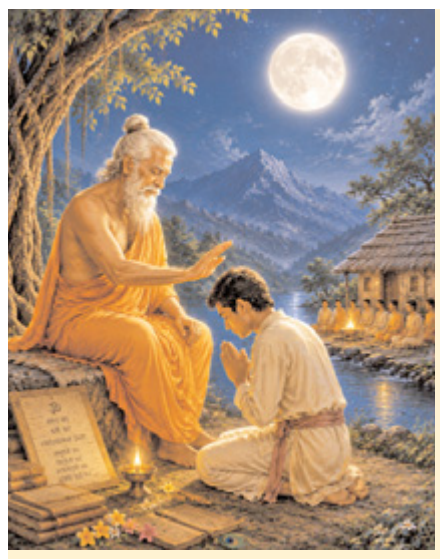

**गुरु शब्द का अर्थ ही है - जो अंधकार को दूर करे। जीवन में यह भूमिका केवल किसी आध्यात्मिक संत या शिक्षक तक सीमित नहीं होती। हमारे माता-पिता, जिन्होंने हमें जीवन के पहले संस्कार दिए, हमारे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा दी, कठिन समय में सही सलाह देने वाले मित्र, कोई प्रेरणादायक पुस्तक या जीवन के अनुभव भी हमारे गुरु बन सकते हैं। हर वह व्यक्ति या अनुभव जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।**

गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पावन पर्व है, जो केवल गुरु का सम्मान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन में ज्ञान, विवेक और आत्मिक जागृति के महत्व को समझने का भी दिन है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल अपने जन्म, परिस्थितियों या सीमाओं तक बंधा हुआ नहीं है। यदि सही मार्गदर्शन मिले और प्रयास करने की इच्छा हो, तो जीवन में आगे बढ़ने और स्वयं को बदलने के सभी द्वार खुले रहते हैं।

भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु केवल पढ़ाई-लिखाई नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला, सही निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु जीवन को नई दिशा देने वाले दीपक के समान हैं।

गुरु शब्द का अर्थ ही है - जो अंधकार को दूर करे। जीवन में यह भूमिका केवल किसी आध्यात्मिक संत या शिक्षक तक सीमित नहीं होती। हमारे माता-पिता, जिन्होंने हमें जीवन के पहले संस्कार दिए, हमारे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा दी, कठिन समय में सही सलाह देने वाले मित्र, कोई प्रेरणादायक पुस्तक या जीवन के अनुभव भी हमारे गुरु बन सकते हैं। हर वह व्यक्ति या अनुभव जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है, वास्तव में गुरु का ही स्वरूप है।

गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य एक स्थिर और अपरिवर्तनीय जीवन नहीं है। यदि वह सीखने और स्वयं को बदलने का संकल्प ले, तो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यह पर्व हमें विश्वास दिलाता है कि परिवर्तन संभव है, विकास संभव है और आत्मज्ञान भी संभव है। यही कारण है कि यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी अवसर माना जाता है।

पूर्णिमा का चंद्रमा भी इस पर्व का महत्वपूर्ण प्रतीक है। जिस प्रकार पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा गुरु हमारे मन में बसे भ्रम, अज्ञान और भय को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु हमें यह समझाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना कैसे किया जाए और हर परिस्थिति से सीख लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए।

भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली परंपराओं में से एक है गुरु-शिष्य परंपरा। यह केवल पढ़ाई या जानकारी देने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जीवन मूल्यों, चरित्र, अनुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण था। गुरुकुलों में विद्यार्थी वर्षों तक गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां पुस्तकों से अधिक महत्व व्यवहार, अनुशासन, सेवा और अनुभव को दिया जाता था। यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों तक जीवित रही।

गुरु-शिष्य परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शिक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि गुरु के आचरण, व्यवहार और जीवन से भी मिलती है। गुरु और शिष्य का संबंध विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और परस्पर सम्मान पर आधारित होता है। शिष्य गुरु की सेवा किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम से करता है। परंपरा यह भी मानती है कि सच्चा गुरु ही तय करता है कि किसे अपना शिष्य स्वीकार करना है। केवल इच्छा प्रकट कर देने से कोई व्यक्ति शिष्य नहीं बन जाता, बल्कि उसके भीतर सीखने की पात्रता और समर्पण होना आवश्यक है।

गुरु पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का भी विशेष स्मरण किया जाता है। उन्हें वेदों का संकलन करने, महाभारत की रचना और अनेक पुराणों की रचना का श्रेय दिया जाता है। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित रूप देने में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है।

इस दिन देशभर में लोग अपने गुरु, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और आश्रमों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हैं, जबकि अनेक लोग ध्यान, सत्संग, दान और सेवा के कार्यों में भाग लेते हैं। यह पर्व हमें केवल गुरु को प्रणाम करना नहीं सिखाता, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।

भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा को प्रसिद्ध मंत्र में व्यक्त किया गया है -

***'गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः।***
***गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।।'***

अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं और गुरु ही परमब्रह्म के समान हैं। ऐसे गुरु को बार-बार प्रणाम है।

आज के डिजिटल युग में जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है, लेकिन सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक आज भी उतना ही आवश्यक है। इंटरनेट हमें सूचना दे सकता है, लेकिन विवेक, चरित्र और जीवन का उद्देश्य नहीं सिखा सकता। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था।

गुरु पूर्णिमा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन, विनम्रता, निरंतर सीखने की इच्छा और कृतज्ञता से मिलती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में गुरु का सम्मान करता रहेगा, तब तक उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी रहेगी। यही इस पावन पर्व का सबसे बड़ा संदेश है।

# भ्रष्टाचार पर वारः लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के पास 50 हजार से ज्यादा शिकायतें

**मध्यप्रदेश** में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब नए चरण में पहुंच गई है। राज्य की दो प्रमुख जांच एजेंसियों, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), के पास पिछले पांच वर्षों में 50 हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आम जनता अब भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक हुई है और वह चुप नहीं बैठना चाहती। लेकिन इसके साथ ही यह आंकड़ा यह भी बताता है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है।

विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 के बीच लोकायुक्त को 27,192 शिकायतें मिलीं। इनमें से 2,475 मामलों में जांच दर्ज की गई। इसके बाद विशेष पुलिस स्थापना ने 1,451 एफआईआर दर्ज कीं और 477 मामलों में अदालत में चालान पेश किया। इसी तरह ईओडब्ल्यू के पास जून 2020 से जून 2026 के बीच 23,261 आवेदन पहुंचे। इनमें से केवल 3,018 मामलों को विस्तृत जांच योग्य मानते हुए शिकायत के रूप में दर्ज किया गया, जबकि बड़ी संख्या में आवेदन प्रारंभिक जांच के बाद बंद कर दिए गए। कई मामले अभी भी लंबित हैं।

ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हर साल हजारों शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर परिणाम बहुत कम निकल रहे हैं। लोकायुक्त के पास आई 27,192 शिकायतों में से केवल लगभग नौ प्रतिशत मामलों में ही एफआईआर दर्ज हुई और लगभग दो प्रतिशत मामलों में ही अदालत तक बात पहुंची। ईओडब्ल्यू की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। 23,261 आवेदनों में से केवल लगभग 13 प्रतिशत मामलों में ही जांच शुरू हुई। बाकी मामले या तो खारिज कर दिए गए या फिर फाइलों में धूल खा रहे हैं।

शिकायतों की बढ़ती संख्या का एक बड़ा कारण लोगों में जागरूकता का बढ़ना है। पहले लोग रिश्वत देना और लेना सामान्य बात मानते थे, लेकिन अब सूचना का अधिकार (आरटीआई), सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के कारण लोग सवाल पूछने लगे हैं। पटवारी से लेकर पुलिस अधिकारी तक और क्लर्क से लेकर बड़े अफसर तक, हर स्तर की शिकायतें सामने आ रही हैं। जमीन के फर्जीवाड़े, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, नौकरी में घूस और ठेकेदारी में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा शिकायतों के कारण बने हैं।

शिकायत आने के बाद जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी है। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू, दोनों के पास स्टाफ और तकनीकी संसाधनों की कमी है। कई बार राजनीतिक दबाव के कारण फाइलें अटक जाती हैं। कई शिकायतकर्ता महीनों, बल्कि वर्षों तक चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें न तो जांच की प्रगति का पता चलता है और न ही परिणाम का। इस कारण लोगों का भरोसा धीरे-धीरे टूट रहा है।

यह भी सही है कि हर शिकायत की जांच करना संभव नहीं होता। कई शिकायतें फर्जी होती हैं, कई व्यक्तिगत रंजिश के कारण की जाती हैं और कई मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते। इसलिए पहले स्तर पर ही उन्हें छांट दिया जाता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि 50 हजार से ज्यादा शिकायतें आई हैं, तो इसका मतलब है कि इतने लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। कम से कम हर शिकायत की प्राथमिक जांच तो होनी ही चाहिए।

एक और बड़ी समस्या साक्ष्य जुटाने की है। भ्रष्टाचार के मामलों में साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, गवाह डर जाते हैं और फाइलें गायब हो जाती हैं। कई बार आरोपी अधिकारी इतने प्रभावशाली होते हैं कि जांच अधिकारियों पर ही दबाव डाल देते हैं। ऐसे में ईमानदार अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं और मामला कमजोर हो जाता है। इसी कारण 477 चालान पेश होने के बाद भी कितने मामलों में सजा हुई, इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं है।

जनता की उम्मीद अब सरकार से है कि वह इन दोनों एजेंसियों को और मजबूत करे। सबसे पहले स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए, जांच के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाए और हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी शिकायत का क्या हुआ। समय-सीमा तय की जाए कि एक शिकायत का अधिकतम छह महीने में निपटारा हो। व्हिसल ब्लोअर यानी शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाए और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि लोग डर के कारण पीछे न हटें।

इस बीच सकारात्मक बात यह भी है कि सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई मंत्रियों के रिश्तेदारों तक जांच पहुंची है और ई-निविदा जैसी व्यवस्था से ठेकेदारी में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि जब तक निचले स्तर का क्लर्क और पटवारी नहीं सुधरेगा, तब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। सामाजिक संगठनों का कहना है कि केवल जांच एजेंसियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। समाज को भी आगे आना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा दी जाए, सरकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए जाएं और हर विभाग में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ बनाया जाए, ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

50 हजार से ज्यादा शिकायतें आना इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र जीवंत है और लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इन शिकायतों का समय पर निपटारा न होना इस बात का संकेत भी है कि व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त मध्यप्रदेश चाहती है, तो उसे लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को अधिक अधिकार, पर्याप्त संसाधन और सबसे बढ़कर राजनीतिक इच्छाशक्ति देनी होगी। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, जो देश और राज्य दोनों को भीतर से खोखला कर देता है। 27,192 और 23,261 केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 50 हजार से ज्यादा परिवारों की पीड़ा हैं। ये उन लोगों की उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं कि उनका टैक्स सही जगह खर्च हो, उनके बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले, अस्पताल में दवा मुफ्त मिले और स्कूल में शिक्षक समय पर पहुंचें।

यदि इन शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और समय पर कार्रवाई हुई, तो मध्यप्रदेश वास्तव में एक नया उदाहरण बन सकता है। अन्यथा ये आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जाएंगे और लोगों का भरोसा लगातार घटता जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि बातों से आगे बढ़कर काम किया जाए, क्योंकि जनता अब हिसाब मांग रही है और उसे उसका जवाब मिलना ही चाहिए।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**

# परीक्षा के हर प्रश्न पर ऑनलाइन उत्तर दर्ज कराने का मिलेगा अवसर

**मध्यप्रदेश** में शासकीय भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को हर प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन दर्ज कराने का अवसर मिलेगा और परीक्षा से पहले पांच माह का समय तैयारी के लिए दिया जाएगा। यह निर्णय परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा नकल एवं पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और समयबद्ध होगी तथा योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सकेगा।

नई व्यवस्था के अनुसार परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम तथा अभ्यास प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकें। परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा, जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज होगी और परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी कम होगी और अभ्यर्थियों को अपनी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा।

राज्य सरकार ने इस बदलाव को लागू करने से पहले सभी जिलों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक में तय किया गया है कि नई प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पहले चरण में पटवारी, शिक्षक, पुलिस तथा अन्य प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में इसे अपनाया जाएगा। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। यह कदम मध्यप्रदेश की भर्ती प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के अनुरूप लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पहले की व्यवस्था में पेपर आधारित परीक्षा और मैनुअल मूल्यांकन के कारण परिणाम आने में देरी होती थी और कई बार गड़बड़ियों की शिकायतें भी सामने आती थीं। अब ऑनलाइन उत्तर दर्ज करने और डिजिटल मूल्यांकन से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो

जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही अपने उत्तरों की स्थिति देख सकेंगे, जिससे उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परीक्षा से पहले पांच माह का समय दिया जाएगा। इस दौरान सरकार की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और मॉक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी प्रतियोगिता में पीछे न रहें। इसके साथ ही सभी जिलों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां अभ्यर्थी नई प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे।

हालांकि, कुछ अभ्यर्थी संगठनों ने नई व्यवस्था को लेकर प्रारंभिक चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली की समस्या है, वहां तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी तथा किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली पूरी तरह से परीक्षार्थी हित में है और इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।

राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले की सराहना हो रही है। माना जा रहा है कि यदि नई प्रणाली ईमानदारी से लागू होती है तो यह युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में देरी और अनियमितताओं के कारण हजारों युवा प्रभावित हुए हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को समान अवसर मिले।

परीक्षा के पैटर्न में किया गया यह बदलाव मध्यप्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। ऑनलाइन उत्तर दर्ज कराने की सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी, पांच माह की तैयारी से अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलेगा और तकनीक के उपयोग से पूरी प्रक्रिया अधिक तेज एवं प्रभावी होगी। अब देखना यह है कि सरकार अपनी इस घोषणा को जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से लागू करती है और इसका लाभ प्रदेश के लाखों युवाओं तक कितनी शीघ्रता से पहुंचा पाती है।

**( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )**